भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5545
दिनांक 26 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

एनजीओ को अनुदान सहायता

5545. डॉ॰ तामिझाची थंगापंडियनः
श्री जी॰ सेल्वमः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महिला और बाल विकास के क्षेत्र में विभिन्न गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) कार्यकर रहे हैं और वे मंत्रालय से निधी/अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो ऐसे एनजीओ का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान अपने राज्यों में मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुदान सहायता प्राप्त की है;
(ग) क्या एनजीओ द्वारा अनुदान सहायता के उपयोग की निगरानी हेतु कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह तंत्र प्रभावी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार ने इन एनजीओ के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और निगरानी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या रहे; और
(च) क्या कई एनजीओ अपेक्षित कार्य नहीं करते हुए पाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे एनजीओ को अनियमितताओं में संलिप्त होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा इनके विरुद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (च) : मंत्रालय महिलाओं के सशक्तीकरण तथा बच्चों के विकास के लिए देश में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम चला रहा है । केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत केंद्र सरकार महिलाओं एवं बच्चों के लिए कल्याणकारी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां प्रदान करती है, जिनमें से कुछ का कार्यान्वयन एनजीओ के माध्यम से होता है, जैसे कि स्वाधार, उज्ज्वला, कामकाजी महिला हॉस्टल, बाल संरक्षण सेवा (तत्कालीन आईसीपीएस) और राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम । पिछले तीन वर्षों के लिए स्कीम-वार आबंटन तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा संबंधित वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है, जो लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.wcd.nic.in पर भी दौरे उपलब्ध हैं ।

स्कीमों में एनजीओ द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन तथा निधियों के उपयोग की जांच के लिए अंतर्निर्मित निगरानी तंत्र है । एनजीओ को निधियों की प्रत्येक संस्वीकृति के लिए मंत्रालय तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियमित अनुवर्तन किया जाता है । समुचित एवं बेहतर कार्यान्वयन के लिए आवधिक आधार पर भी स्कीमों की समीक्षा की जाती है । स्कीमों में पंचायत/ब्लॉक/जिला स्तर, राज्य स्तर तथा केंद्रीय स्तर पर परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रावधान हैं । तमिलनाडु राज्य में भी इन्हीं तंत्रों का उपयोग किया जा रहा है ।

इसके अलावा, मंत्रालय जेजे अधिनियम, 2015 के तहत परिकल्पना के अनुसार असुरक्षित बच्चों के लिए संस्थानिक एवं गैर-संस्थानिक सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम चला रहा है । यह स्कीम विपदाग्रस्त बच्चों के लिए 24X7 आउटरीच हैल्पलाइन सेवा के लिए सहायता प्रदान करती है । यह सेवा एक समर्पित टोल-फ्री नम्बर 1098 के माध्यम से उपलब्ध है, जिसे संकटग्रस्त बच्चे द्वारा अथवा उनकी ओर से प्रौढ़ों द्वारा भारत के भौगोलिक क्षेत्र में किसी स्थान से एक्सिस किया जा सकता है तथा आउटरीच सेवा इस समय चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (सीआईएफ), मुम्बई नामक मातृ एनजीओ के माध्यम से निष्पादित की जा रही है । सीआईएफ मंत्रालय में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) के समक्ष अपने वार्षिक अनुदान के संबंध में अपना वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, जिसमें इसके चार क्षेत्रीय केंद्र तथा सभी मौजूदा साझेदार एनजीओ शामिल हैं, जिसे सीपीएस स्कीम के तहत अनुदान जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं अन्य संगठनों से कार्यान्वयन योजनाओं, वार्षिक योजनाओं तथा वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा करने एवं मंजूरी प्रदान करने के लिए गठित किया गया है । मंत्रालय समय-समय पर स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा भी करता है । पिछले तीन वर्षों के दौरान मातृ एनजीओ को जारी की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(राशि लाख रुपये में)

वित्त वर्ष	पिछले वर्ष की खर्च न की गई राशि	सीआईएफ को जारी किया गया अनुदान	व्यय
2016-17	379.02	6315.93	6564.96
2017-18	139.99	11209.78	11251.80
2018-19	98.00	17583.00	15758.37

*****